न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम धनोप तहसील फुलियाकलां

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 106/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 बालु पिता घीसा कलाल उम्र–वयस्क निवासी मालीखेडा, मगनपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

.... प्रार्थी

बनाम

1 भूदान यज्ञ बोर्ड सुखा पिता हरदेव बैरवा उम्र–वयस्क निवासी मालीखेडा, मगनपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 भूदान यज्ञ बोर्ड प्रकाश पिता छगना बैरवा उम्र–वयस्क निवासी मालीखेडा, मगनपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 भूदान यज्ञ बोर्ड मदन पिता हरदेव बैरवा उम्र–वयस्क निवासी मालीखेडा, मगनपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 भूदान यज्ञ बोर्ड रामा पिता हरदेव बैरवा उम्र–वयस्क निवासी मालीखेडा, मगनपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5 भूदान यज्ञ बोर्ड सोनू पिता हरदेव बैरवा उम्र–वयस्क निवासी मालीखेडा, मगनपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
6 भूदान यज्ञ बोर्ड काली पुत्री छगना बैरवा उम्र–वयस्क निवासी मालीखेडा, मगनपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
7 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री शिवराज शर्मा ——अधिवक्ता प्रार्थी
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां
अनुपस्थित– श्री विजय पाराशर ——अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 14.10.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 20.11.2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम मालीखेडा (मगनपुरा) पटवार मण्डल मालीखेडा तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 53 की आराजी संख्या 156/569, 156/603, 512, 513, 514/567, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 किता 17 रकबा 2.36 हैक्ट. प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने [illegible] रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आर[illegible] पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण शुरूआत से अप्रार्थीगण की खाते[illegible] रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगणों द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी [illegible] की आराजी संख्या 514 में [illegible] फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया [illegible]कर प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 514 में से 30 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:35:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भील.)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 02.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें।

इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम धनोप दिनांक 14.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया।. विपक्षीगण द्वारा विहित समायावधी में जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से विरूद्ध विपक्षीगण संख्या 01 से 06 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। शिविर में उपस्थित प्रार्थीगण पक्ष ने अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें रास्ता कायमी हेतु ग्राम मालीखेडा (मगनपुरा) स्थित विपक्षीगण की गैरखातेदारी आराजी संख्या 514 रकबा 0.40 हैक्टे. में से 0.0238 हैक्टे. (238 वर्गमीटर) सुगमतम एवं निकटतम रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अप्रार्थीगण को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को विपक्षीगण की गैरखातेदारी आराजी संख्या 514 में से 0.0238 हैक्टे. (238 वर्गमीटर) का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजीयात में से रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगणो ने प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप जवाब प्रस्तुत नही किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थी को कोई भारी क्षति होगी।

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थीगण की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा ग्राम मालीखेडा (मगनपुरा) स्थित विपक्षीगण की गैरखातेदारी आराजी संख्या 514 रकबा 0.40 हैक्टे. में से 0.0238 हैक्टे. (238 वर्गमीटर) निकटतम एवं सुविधाजनक प्रस्तावित नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:35:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अ[illegible]गण [illegible] प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम मालीखेडा (मगन[illegible] [illegible] आराजी संख्या 514 रकबा 0.40 हैक्टे. में से 0.0238 [illegible] मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–[illegible]द तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 514 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0238 हैक्टेयर मालियत राशि की तिगुनी राशि 7,151/– रूपये (0.0238 हैक्टयर की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम धनोप के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि–

1– तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:35:53 IST
Reason: SelfAttested